मै0 विमलेश कॉइल्स एण्ड कंडक्टर्स (यूनिट– III), खसरा न0– 351, 352, 356, 210, 212, गांव सिकन्दरपुर भैंसवाल, तहसील–भगवानपुर, जिला–हरिद्वार द्वारा एम.एस. बिलेट्स/इगंट्स के क्षमता का विस्तारीकरण 29,500 टी.पी.ए. से बढ़ाकर 2,60,000 टी.पी.ए. एवं एम.एस. बार/रोल्ड उत्पाद 2,60,000 टी.पी.ए. के उत्पादन हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (Prior Environment Cleareance) के लिए दिनांक 01.08.2025 को आयोजित लोक सुनवाई की कार्यवाही का कार्यवृत।

मै0 विमलेश कॉइल्स एण्ड कंडक्टर्स (यूनिट– III), खसरा न0– 351, 352, 356, 210, 212, गांव सिकन्दरपुर भैंसवाल, तहसील–भगवानपुर, जिला–हरिद्वार द्वारा एम.एस. बिलेट्स/इगंट्स के क्षमता का विस्तारीकरण 29,500 टी.पी.ए. से बढ़ाकर 2,60,000 टी.पी.ए. एवं एम.एस. बार/रोल्ड उत्पाद–2,60,000 टी.पी.ए. के उत्पादन हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (Prior Environment Cleareance) के लिए दिनांक 01.08.2025 को आयोजित लोक सुनवाई आयोजित किये जाने का अनुरोध ई0आई0ए0 (ड्राफ्ट) रिपोर्ट सहित उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, देहरादून में प्रस्तुत किया गया। उक्त क्षमता विस्तारीकरण का प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत प्रख्यापित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ई0आई0ए0) अधिसूचना 2006 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत आच्छादित है तथा पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई का प्रावधान है। उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नियमानुसार लोक सुनवाई की सूचना 30 दिन पूर्व दैनिक समाचार पत्रों यथा– ''दैनिक जागरण'' एवं ''टाईम्स ऑफ इंडिया'' में दिनांक 14.06.2025 को प्रकाशित की गयी थी।

लोक सुनवाई, जिलाधिकारी महोदय, हरिद्वार द्वारा नामित श्री देवेन्द्र सिंह नेगी, उप जिलाधिकारी, भगवानपुर की अध्यक्षता में दिनांक 01.08.2025 को प्रातः 11:00 बजे से मै0 विमलेश कॉइल्स एण्ड कंडक्टर्स (यूनिट– III) गांव सिकन्दरपुर भैंसवाल, तहसील–भगवानपुर, जिला–हरिद्वार में आयोजित की गयी। उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण की ओर से डा0 राजेन्द्र सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, रूड़की द्वारा प्रतिभाग किया गया। लोक सुनवाई की उपस्थिति संलग्न है।

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय की अनुमति से क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रूड़की द्वारा उपस्थित जन समुदाय को लोक सुनवाई के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि लोक सुनवाई पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत प्रख्यापित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ई0आई0ए0) अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के अनुसार आयोजित की जा रही है। मै0 विमलेश कॉइल्स एण्ड कंडक्टर्स (यूनिट– III) की ओर से पर्यावरणीय परामर्शी डा0 एस0 सिंह द्वारा उद्योग में प्रस्तावित विस्तारीकरण के सम्बन्ध में प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुतिकरण में अवगत कराया गया कि प्रस्तावित क्षमता विस्तारीकरण हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा Terms of Reference (ToR) निर्गत किये गये हैं, जिसके आधार पर परियोजना क्षेत्र में विभिन्न पर्यावरणीय घटकों जैसे परिवेशीय वायु गुणवत्ता, ध्वनि स्तर, सतही जल गुणवत्ता, भू–जल गुणवत्ता, जैविक पर्यावरण, भूमि उपयोग, सामाजिक वातावरण आदि का अध्ययन किया गया एवं विभिन्न पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों के न्यूनीकरण हेतु उपाय प्रस्तावित है। अन्तर्गत एम.एस. बिलेट्स/इगंट्स की उत्पादन क्षमता 29,500 टी.पी.ए. से बढ़ाकर 2,60,000 टी.पी.ए. तथा उत्पादित बिलेट्स/इगंट्स से एम.एस. बार/रोल्ड उत्पाद–2,60,000 टी.पी.ए. का उत्पादन प्रस्तावित है। कच्चे माल के रूप में स्क्रैप/स्पन्स आयरन, फैरोमिक्स आदि– 2,42,500 टी.पी.ए. प्रयुक्त

किया जाना है। क्षमता विस्तारीकरण के अन्तर्गत 30 टी.पी.एच. क्षमता की 02 इंडक्शन फर्नेश तथा रोलिंग उत्पादों के लिए रिहीटिंग फर्नेश की स्थापना प्रस्तावित है। इंडक्शन फर्नेश में नियमानुसार साइड ड्राफ्ट हुड, वैट स्क्रबिंग सिस्टम एवं 30 मी0 ऊची चिमनी की स्थापना प्रस्तावित है। रिहीटिंग फर्नेश में ईधन के रूप में कोयला–32 एम.टी./दिन प्रयुक्त किया जायेगा, जिसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु फ्यूम्स कलेक्शन हुड, वैट स्क्रबर एवं 30 मी0 ऊची चिमनी की स्थापना प्रस्तावित है। उद्योग में 500 के.वी.ए. एवं 320 के.वी.ए. क्षमता के डी.जी. सैट की स्थापना की जानी है।

उद्योग का कुल क्षेत्रफल 21,593.571 वर्ग मीटर है, जो क्षमता विस्तारीकरण हेतु पर्याप्त है। उद्योग द्वारा 10,772.408 वर्ग मीटर भूमि में ग्रीन बैल्ट विकसित की जानी प्रस्तावित है। क्षमता विस्तारीकरण के अन्तर्गत कुल जल की खपत 40 के.एल.डी. है, जिसमें से 28 के.एल.डी. कूलिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त किया जाना है, जिसे शत्–प्रतिशत् पुनः प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है।

परियोजना की पूंजीगत लागत रू 27.82 करोड़ है, जिसमें से रू 71.00 लाख पर्यावरण प्रबन्धन योजना हेतु निर्धारित है। उक्त के अतिरिक्त पर्यावरण प्रबन्धन हेतु प्रतिवर्ष रू 10.00 लाख का बजट प्रस्तावित है। उक्त के अतिरिक्त प्रतिवर्ष कारपोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व (सी.ई.आर.) हेतु रू 27.00 लाख एवं कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) हेतु रू 56.00 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

प्रस्तुतिकरण के उपरान्त जन समुदाय से उद्योग के प्रस्तावित क्षमता विस्तारीकरण के सम्बन्ध में आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किये गये। आपत्तियां/सुझाव का विवरण निम्नानुसार है:–

1. **श्री राव नाजीम, ग्राम प्रधान, सिकन्दरपुर भैंसवाल** द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग के क्षमता विस्तारीकरण से वायु प्रदूषण जनित होने की सम्भावना है, अतः उद्योग में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है। श्री नाजीम द्वारा अपेक्षा की गयी कि उद्योग के क्षमता विस्तारीकरण से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होगें।

2. **श्री राशिद, निवासी ग्राम–रायपुर** द्वारा अवगत कराया गया कि क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना से क्षेत्र का विकास होगा तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा। श्री राशिद द्वारा उद्योग एवं औद्योगिक संगठनों से समीपवर्ती गांवों में साफ–सफाई आदि कार्यो में सहयोग की अपेक्षा की गयी।

3. **श्री रवि किरन सैनी, ग्राम–रायपुर** द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग के क्षमता विस्तारीकरण से वाहनों की आवाजाही बढ़ेगी तथा सड़क पर वाहनों का दबाव बढ़ेगा। श्री सैनी द्वारा अनुरोध किया गया कि उद्योग प्रबन्धन को क्षमता विस्तारीकरण के अनुपात में पर्यावरणीय प्रबन्धन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि में सहयोग किया जाये। समुचित पर्यावरणीय प्रबन्धन से फसलों/बाग/खेती में उद्योगों के प्रभाव को कम किया जा सकेगा।

4. **श्री अमरजीत सिंह, सहायक विकास अधिकारी, सिकन्दपुर भैंसवाल** द्वारा अवगत कराया गया कि समीपवर्ती ग्रामों/ग्राम पंचायतों के पास ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, साफ–सफाई हेतु पर्याप्त संशाधन उपलब्ध नहीं हैं। अतः उद्योगों एवं औद्योगिक संगठनों द्वारा समीपवर्ती ग्रामों/ग्राम पंचायतों को सी.एस.आर. फंड के माध्यम से सहयोग किया जाये।

5. **मो0 उस्मान, ग्राम–रायपुर** द्वारा अवगत कराया गया कि औद्योगिक विकास के साथ स्थानीय लोगों का विकास भी जुड़ा हुआ है, तथापि पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है। औद्योगिक इकाईयों द्वारा सड़क में पार्किंग किये जाने से स्थानीय लोगों को असुविधा होती है। अतः पार्किंग निर्धारित स्थानों पर ही की जाये।

लोक सुनवाई प्रकिया के संचालन के दौरान क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रूड़की द्वारा जन सामान्य द्वारा रखे गये मुख्य बिन्दुओं को जन समुदाय के समक्ष रखा गया। तदोपरान्त श्री विकास गोयल, मैनेजिंग पार्टनर मै0 विमलेश कॉइल्स एण्ड कन्डक्टर्स द्वारा जन समुदाय द्वारा रखे गये मुख्य बिन्दुओं पर उद्योग की ओर से अवगत कराया गया कि सी.एस.आर. फंड से समीपवर्ती गांवों के विकास कार्यो/सामाजिक कार्यो में सहयोग किया जायेगा तथा उद्योग में स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जायेगी। श्री गोयल द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग हेतु सम्पर्क मार्ग की वैकल्पिक व्यवस्था स्थापित की जानी प्रस्तावित है, ताकि सम्पर्क मार्ग पर वाहनों का अतिरिक्त दबाव कम हो सके।

लोकसुनवाई में उप जिलाधिकारी, भगवानपुर द्वारा उद्योग प्रबन्धन से अपेक्षा की गयी कि उद्योग में क्षमता विस्तारीकरण के साथ–साथ पर्यावरणीय संतुलन बनाये जाने हेतु आवश्यक उपाय किये जाये। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु उन्नत तकनीकि की व्यवस्था की जाये। उप जिलाधिकारी, भगवानपुर द्वारा उद्योग प्रबन्धन से जन भावना के अनुरूप सामाजिक कार्यो में सहयोग की अपेक्षा की गयी।

अध्यक्ष महोदय द्वारा जन समुदाय को अवगत कराया गया कि जन सुनवाई में उनके द्वारा रखे गये सुझाव/आपत्तियों को संकलित किया गया है जिसे विडियोग्राफी, फोटोग्राफ एवं उपस्थिति पंजिका सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति आवेदन पर अग्रेतर विचार हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को को प्रेषित् की जायेगी।

अन्त में अध्यक्ष महोदय के द्वारा धन्यवाद के साथ लोक सुनवाई की कार्यवाही का समापन किया गया।

संलग्नकः–

1. **फोटोग्राफी –03 सैट में।**
2. **विडियो रिकाडिंग –03 पैन ड्राईव में।**
3. **उपस्थिति पंजिका –03 प्रतियों में।**

(डा0 राजेन्द्र सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
रूड़की, जिला–हरिद्वार।

(देवेन्द्र सिंह नेगी)
उप जिलाधिकारी,
भगवानपुर।